UPET010025422013

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01, एटा।

उपस्थितः मनीषा – 'एच०जे०एस०', J.O. CODE UP6137

एन०डी०पी०एस० वाद संख्या– 18/2013

राज्य **बनाम** ब्रजेश उर्फ बी०सी०

मुकदमा अपराध संख्या– 83/2013
धारा– 8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट,
थाना– कोतवाली नगर, जिला एटा।

22.07.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुयी,

विशेष लोक अभियोजक उपस्थित आये।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अंतर्गत धारा- 299 द०प्र०सं० नियत है। साक्षी पी०डब्ल्यू०-1 उपनिरीक्षक देवेन्द्र शंकर पाण्डेय का बयान अंकित किया जा चुका है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया कि इस स्तर पर अन्य किसी साक्ष्य को परीक्षित नहीं कराना है। अभियुक्त के उपस्थित आने पर अन्य साक्षी परीक्षित कराये जायेंगें।

पत्रावली में कार्यवाही धारा- 299 द०प्र०सं० पूर्व में ही अग्रसारित की जा चुकी है। अतः यह उचित होगा कि पत्रावली को धारा- 299 द०प्र०सं० में अभिलेखागार प्रेषित किया जाय। पत्रावली निम्न शर्तों के साथ धारा- 299 द०प्र०सं० में अभिलेखागार प्रेषित की जाती है।

आदेश

1. अभियुक्त **ब्रजेश उर्फ बी०सी० पुत्र ब्रह्मस्वरूप, निवासी– मौहल्ला, भगीपुर, जिला– एटा** के स्थायी गैर जमानती वारण्ट जारी किये जाये।

2. थानाध्यक्ष कोतवाली नगर, एटा को आदेशित किया जाता है कि **ब्रजेश उर्फ बी०सी० पुत्र ब्रह्मस्वरूप, निवासी– मौहल्ला, भगीपुर, जिला– एटा** की तलाश जारी रखें तथा उसे मिलने पर गिरफ्तार कर न्यायलय में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।

   आप अभियुक्त के विरूद्ध स्थायी वारंट मफरूरी रजिस्टर में इंद्राज करें तथा थाने पर मफरूरी रजिस्टर में दर्ज क्रम संख्या जिस पर स्थायी वारन्ट का इन्द्राज किया गया है, न्यायालय में प्रस्तुत करें।

3. कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह पत्रावली को अभिलेखागार प्रेषित करने से पूर्व लाल इंक से स्पष्ट रूप से यह अंकित करें कि यह पत्रावली धारा– 299 द०प्र०सं० में दाखिल दफ्तर की जा रही है तथा इसे नष्ट नहीं किया जाना है।

4. आदेश की एक– एक प्रति जिलाधिकारी, एटा व एस०एस०पी०, एटा को सूचनार्थ प्रेषित की जाय।

5. पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मनीषा)
विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01,
एटा।

दिनांकः 22.07.2025